

- सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (CCS)
 - आवास पर कैबिनेट समिति
 - संसदीय मामलों पर कैबिनेट समिति (सुपर-कैबिनेट के रूप में संदर्भित)
 - राजनीतिक मामलों पर कैबिनेट समिति
 - नविश और विकास पर कैबिनेट समिति
 - कौशल, रोजगार और आजीविका पर कैबिनेट समिति
- **हाल में हुए परिवर्तन:**
- गृह मंत्री इन सभी समितियों में शामिल होने वाले **एकमात्र कैबिनेट सदस्य** हैं।
 - आवास समिति और संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति को छोड़कर **सभी छह समितियों के अध्यक्ष प्रधानमंत्री** हैं।
 - नियुक्ति समिति में कोई बदलाव नहीं किया गया है, **जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं** और जिसमें **गृह मंत्री एकमात्र सदस्य** हैं।

संसदीय समितियाँ

- **संसदीय समितियाँ विशेष समितियाँ** होती हैं, जो संसद के वसित्तुत कार्यों को संभालने के लिये गठित की जाती हैं, जो प्रायः इतना जटिल और व्यापक होता है कि उसे सदनों की पूर्ण बैठकों में पूरा नहीं किया जा सकता।
- वे वशिष्टित मामलों में वसित्तुत जाँच, चर्चा और जाँच सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक हैं। संसदीय समितियाँ विभिन्न प्रकार की होती हैं जैसे **स्थायी समितियाँ, विभाग-संबंधित स्थायी समितियाँ (DRSCs)** आदि।

मंत्रियों के समूह

- ये तदर्थ निकाय हैं जो कुछ **आकस्मिक मुद्दों और गंभीर समस्या क्षेत्रों पर मंत्रिमंडल** को सफारिशें देने के लिये गठित किये गए हैं।
- इनमें से कुछ **मंत्रि समूह मंत्रिमंडल की ओर से निर्णय लेने के लिये** अधिकृत हैं, जबकि अन्य मंत्री कैबिनेट समितियों को सफारिशें करते हैं।
 - मंत्रिसमूहों की संस्था मंत्रालयों के बीच समन्वय का एक व्यवहार्य और प्रभावी बन गई है।
- संबंधित मंत्रालयों के प्रमुख मंत्रियों को संबंधित मंत्री समूह में शामिल किया जाता है और जब सलाह स्पष्ट हो जाती है तो उन्हें भंग कर दिया जाता है।

लोकसभा अध्यक्ष ने सांसदों हेतु शपथ ग्रहण नियमों में कया संशोधन:

- सदन के कामकाज से संबंधित वशिष्टित मामलों को प्रबंधित करने के लिये 'अध्यक्ष द्वारा निर्देश' के अंतर्गत 'निर्देश 1' में एक नया खंड जोड़ा गया है, जो मौजूदा नियमों के अंतर्गत स्पष्ट रूप से शामिल नहीं है।
- 'निर्देश 1' में संशोधन के अनुसार, **नए खंड 3 में कहा गया है कि कोई सदस्य निर्धारित प्रपत्र में उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में किसी भी शब्द या अभिव्यक्ति का उपयोग किये बिना शपथ लेगा और प्रतज्ञान करेगा।**

कैबिनेट समितियों की चुनौतियाँ क्या हैं?

- **ओवरलैपिंग जनादेश:** इससे देरी, अक्षमता और समितियों के बीच संघर्ष होता है क्योंकि वे नियंत्रण के लिये लड़ते हैं। प्रस्ताव में रुकावट आ जाती है जिससे निर्णय लेने में देरी होती है।
- **वशिषज्जता की कमी:** स्वास्थ्य सेवा नीति पर **केंद्रित समिति में चकित्सा पेशेवरों की कमी हो सकती** है। इससे गलत निर्णय लिये जा सकते हैं और अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं। इस प्रकार वशिषज्जों की कमी के कारण दीर्घकालिक नीतितगत परिणाम हो सकते हैं।
- **सूचना साइलो और खराब संचार:** समितियाँ अलग-थलग होकर काम कर सकती हैं, सूचना साझा नहीं कर सकती या सहयोग नहीं कर सकती। इससे अस्पष्टता पैदा होती है तथा समग्र दृष्टिकोण में बाधा आती है। इससे प्रयासों में पुनरावृत्ति होती है, **तालमेल के अवसर चूक जाते हैं और सीमिति सूचना के आधार पर निर्णय लिये जाते हैं।**
- **राजनीतिक दबाव और अल्पकालिकता:** राजनीतिक विचार समितियों को दीर्घकालिक रणनीतिक योजना के बजाय **अल्पकालिक लाभ को प्राथमिकता देने के लिये प्रेरित** कर सकते हैं। इससे **सक्रिय समाधानों के बजाय प्रतिक्रियात्मक उपाय** हो सकते हैं।
- **जवाबदेही और पारदर्शिता का अभाव:** लिये गए निर्णयों को छपाया नहीं जाना चाहिये क्योंकि इससे विश्वास में कमी आती है। समितिकी गतिविधियों और निर्णयों के बारे में स्पष्ट जानकारी के बिना **विधायिका उन्हें जवाबदेह नहीं ठहरा सकती।**
- **सत्ता का संकेंद्रण:** यदि निर्णय लेने का अधिकार केवल कुछ समितियों या व्यक्तियों के पास होगा तो मूल्यवान मत के बहिष्कृत होने की संभावना है। इसके परिणामस्वरूप लिये गए निर्णय **असंतुलित हो सकते हैं।** यह संभव है कि महत्त्वपूर्ण मत की अनदेखी हो जाएगी जिससे संभावित रूप से **सृजनात्मक समाधानों की उपेक्षा** हो सकती है और असंतुष्ट पक्षों में **आक्रोश उत्पन्न** हो सकता है।

आगे की राह

- **स्पष्ट अधिदेश:** किसी भी प्रकार की संशयात्मक स्थिति से बचने के लिये **समितियों के अधिदेशों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिये।** अंतर-समिति विवादों के लिये एक **केंद्रीय संघर्ष समाधान निकाय** की स्थापना करने की आवश्यकता है।
- **वशिषज्ज नियुक्ति:** सलाहकार या अस्थायी समिति सदस्यों के रूप में **वशिष वस्तु वशिषज्जों** की नियुक्ति की जानी चाहिये। वशिष ज्ञान

हेतु वदिशी प्रबुद्ध मंडलों के साथ साझेदारी की जा सकती है।

- बेहतर सूचना साझाकरण: सभी समितियों के लिये एक केंद्रीकृत सूचना साझाकरण प्लेटफॉर्म स्थापति करने की आवश्यकता है। सहयोग को बढ़ावा देने के लिये नियमति अंतर-समिति पत्रसार (Briefings) कथिा जाना चाहयि।
- दीर्घकालकि लक्ष्य: समतियिों को अल्पकालकि कार्रवाई के साथ-साथ दीर्घकालकि रणनीतकि योोजनाएँ बनाने हेतु अधदिश दयिा जाना चाहयि। नरिणय लेने की प्रकरयिा में नषिपक्ष आरथकि या सामाजकि प्रभाव आकलन को एकीकृत करने की आवश्यकता है।
- जवाबदेहति: नियमति रूप से बैठक का कार्यवविरण और सारांश जारी करना जवाबदेहति सुनशिचति करता है।
- व्यापक-आधारति परामर्र्श: परामर्र्श अधकि व्यापक-आधारति होना चाहयि। अन्य कैबनिट सदस्योों को वशिष आमंत्रण देकर आमंत्रति कथिा जाना चाहयि।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

मंत्रमिंडलीय समतियिों की भूमकिा और महत्त्व की वविचना कीजयि। नीतकिे नर्रिमाण और इसके कार्रयान्वयन में उनकी प्रभावकारति बढ़ाने के उपायोों का सुझाव दीजयि।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????:

प्रश्न सचविलय मंत्रमिंडल का नमिन में से कया है? (2014)

1. मंत्रमिंडल बैठक के लयिे कार्रयसूची तैयार करना।
2. मंत्रमिंडल समतियिों को साचविकि सहायता।
3. मंत्रालयोों को वत्तितीय संसाधनों का आवंटन।

नीचे दयिे गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनयिे:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 2
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (c)

??????:

प्रश्न. आपकी दृष्टि में, भारत में कार्रयपालकिा की जवाबदेही को नशिचति करने में संसद कहाँ तक समर्र्थ है? (2021)